Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में पटवारी एवं प्राईवेट व्यक्ति (टाईपिस्ट) 12 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *04 अप्रेल, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर नागौर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये कुलदीप विश्नोई पटवारी पटवार मण्डल ढ़ींगसरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर एवं उसके दलाल सुरेश राम (टाईपिस्ट–प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **12 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि फसल खराबा बावत मुआवजा दिलवाने की एवज में कुलदीप विश्नोई पटवारी पटवार मण्डल ढ़ींगसरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर द्वारा **16 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी नागौर इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री नरेश चौहान** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये कुलदीप विश्नोई पुत्र श्री पाबूराम निवासी चकढ़ाणी, पुलिस थाना मेड़ता रोड़, जिला नागौर हाल पटवारी पटवार मण्डल ढ़ींगसरा, तहसील खींवसर, जिला नागौर को उसके दलाल सुरेश राम पुत्र श्री मंगलाराम नाई निवासी दियावड़ी, तहसील मूण्डवा, जिला नागौर (टाईपिस्ट–प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **12 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।